फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान रामदेव वगै0 बनाम श्रवण सिंह वगै0

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा/प्रार्थना पत्र–...../2023

03/05/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 01 ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि बाद में राजीनामे के आधार पर बाद को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 के मध्य राजीनामा हो जाने से बाद विड्रा का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया है जिससे प्रार्थना पत्र 212 सीपीसी को चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र 212 सीपीसी को खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/05/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

K Rshetra Adv

(नन्दसिंह) RAS

Manish

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम